(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या 177 **नई दिल्ली 30 अक्तुबर 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, महापत्तन न्यासों और महापत्तन न्यासों में प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों की प्रशुल्क निर्धारण कार्यवाही में अनुसरित मौजूदा दृष्टिकोण/पद्धति के कुछ क्षेत्रों पर विशोधन अधिसूचित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/23/2003–डब्ल्यूएस

आदेश

(सितम्बर, 2008 के 30वें दिन पारित)

एक निजी टर्मिनल प्रचालक द्वारा दाखिल की गई समीक्षा याचिका से संबंधित प्रशुल्क कार्यवाही में, इस प्राधिकरण ने पाया कि राजपत्र सं. 39 दिनांक 31 मार्च, 2005 द्वारा 31 मार्च, 2005 को इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लागत जमा दृष्टिकोण के अधीन, प्रशुल्क निर्धारण के लिए मौजूदा अंगीकृत दृष्टिकोण और अनुसरित पद्धति के कुछ क्षेत्रों में सुधार करने/शोधन करने की जरूरत है।

2. लागत जमा पद्धति के अधीन प्रशुल्क के निर्धारण में अनुसरित पद्धति और मौजूदा अंगीकृत दृष्टिकोण के निम्नलिखित क्षेत्र सुधार/विशोधन के लिए प्रकट हुए:–

(क). प्रशुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करना;

(ख). थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) लागू करना;

(ग). विदेशी मुद्रा विनिमय दर;

(घ). कार्यगत पूंजी के रूप में सुविचारित की जाने वाली विविध देनदारियों का स्तर;

(ड.). वास्तविक और प्रत्यक्ष निष्पादन ब्योरों को प्रस्तुत करना।

चूंकि विनिहित मुद्दे सामान्य प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें अन्य निजी टर्मिनलों और पत्तन न्यासों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है।

3. ऊपर सूचीबद्ध मुद्दों का नीचे विश्लेषण किया गया है:–

(क). <u>प्रशुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करना:</u>

(i). प्रशुल्क दिशा–निर्देशों का खंड 3.1.2 इस प्राधिकरण से अपेक्षा करता है कि संशोधन के लिए प्रशुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए समय तालिका निर्धारित करे। जब तक समय तालिका निर्धारित की जाती है, मौजूदा प्रशुल्क के संशोधन के लिए प्रस्ताव संशोधन के लिए देय तारीख से कम से कम 3 महीने पहले अग्रेषित कर दिए जाने चाहिएं। प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय तालिका अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

(ii). यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में, प्रशुल्क प्रस्ताव मौजूदा प्रशुल्क वैधता चक्र की समाप्ति के 3 महीने पहले दाखिल नहीं किए जाते हैं। चूंकि प्रस्ताव विभिन्न तारीखों को दाखिल किए जाते हैं, इसलिए वृद्धि, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के लिए एकसमान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) लागू करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आंकड़े भी प्रस्तावकों द्वारा नहीं भेजे जाते हैं। उदाहरणार्थ, फरवरी 2008 में दाखिल प्रस्ताव पर मई/जून, 2008 में निर्णय लिया जाता है जिसमें केवल वर्ष 2006–07 तक के वास्तविक आंकड़े शामिल किए जाते हैं, भले ही संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2008–09 से लागू हों। इसमें वास्तविकताओं के आधार पर निर्धारित नहीं किए जा रहे वर्ष 2007–08 के वित्तीय आंकड़े छूट जाते हैं।

(iii). अतः एक वित्तीय वर्ष में प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना जरूरी है। पत्तनों और टर्मिनलों को प्रशुल्क प्रस्ताव उस वित्तीय वर्ष के 30 जून तक दाखिल कर देने चाहिएं जिसमें प्रशुल्क संशोधन देय हो। ऐसे प्रस्ताव के साथ पिछले वित्तीय वर्ष तक के वास्तविक आंकड़े भेजने चाहिएं। उदाहरणार्थ, दिसम्बर 2005 में कखग पत्तन के लिए निर्धारित प्रशुल्क दिसम्बर, 2008 में संशोधन के लिए देय होगा। अतः कखग पत्तन को पिछले वित्तीय वर्ष 2007–08 तक के वास्तविक आंकड़े और 3 वर्षों की अगली प्रशुल्क वैधता अवधि के पूर्वानुमान देते हुए अपना प्रशुल्क प्रस्ताव 30 जून, 2008 से पहले दाखिल करना चाहिए।

(iv). प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक समयानुसार प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त उपयुक्त कारण नहीं दिए जाते हैं। आपवादिक मामलों में भी जहां ऐसे अनुरोध पर विचार किया जाता है, यह प्राधिकरण मौजूदा दर में तदर्थ कटौती करेगा और इसे किसी मामले में विस्तारित अवधि के लिए लागू करने की अनुमति देगा वह 3 माह से अधिक नहीं होगी। विस्तार प्रदान करना भी इस शर्त के अधीन होगा कि विस्तारित अवधि के दौरान प्रोद्भूत अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, अगले प्रशुल्क संशोधन में समायोजित किया जाएगा।

(ख). <u>डब्ल्यूपीआई और आरओसीईई लागू करनाः</u>

(i). वर्ष 2005 के प्रशुल्क दिशा–निर्देशों का खंड 2.5.1, साथ ही साथ, विनिर्दिष्ट करता है कि व्यय पूर्वानुमान भारत सरकार द्वारा घोषित सभी घटकों के लिए डब्ल्यूपीआई के मौजूदा संचलन के संदर्भ में मूल्य उतार–चढ़ाव के लिए सामयोजित यातायात के अनुसर होने चाहिएं। प्रशुल्क दिशा–निर्देशों का खंड 2.9.2 निर्धारित करता है कि नियोजित पूंजी पर स्वीकार्य प्रतिलाभ की प्रमुख पैरामीटरों में बदलावों के आलोक में वित्तीय वर्ष की शुरूआत में समीक्षा की जाएगी।

(ii). यह प्राधिकरण उस वर्ष के लिए यथा लागू डब्ल्यूपीआई और आरओसीईई लागू करेगा जिसमें अनुमोदित संशोधित प्रशुल्क प्रभावी होगा।

(iii). आपवादिक मामलों में, जब वित्तीय वर्ष में कोई बदलाव इस प्राधिकरण द्वारा किसी मामले में निर्णय लेने और ऐसे निर्णय की अधिसूचना की तारीख के बीच होता है, और यदि डब्ल्यूपीआई के मूल्यों और आरओसीईई की मध्यवर्ती अवधि में प्रशुल्क दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाता है, संबद्ध प्रशुल्क आदेश की आरओसीईई के लागू मूल्य और वार्षिक वृद्धि कारक को सही प्रकार से दर्शाए जाने की सीमा तक समीक्षा की जाएगी।

(ग). <u>विदेशी मुद्रा विनिमय दरः</u>

(i). मौजूदा व्यवस्था में, इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क मामले की लागत समीक्षा के निष्कर्ष के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा विनिमय दर लागत अनुमानों को तैयार करने के लिए सुविचारित की जाती है। हालांकि प्रशुल्क दिशा–निर्देश महापत्तनों और निजी टर्मिनलों को अगली प्रशुल्क वैधता अवधि में विदेशी मुद्रा विनिमय में संभावित भिन्नता को विधिवत् लागू करते हुए अपने आय अनुमानों को तैयार करने की अनुमति प्रदान करते हैं, यह देखा गया है कि सामान्यतः आय अनुमान विदेशी मुद्रा विनिमय में भावी बदलावों पर विचार करते हुए तैयार नहीं किए जाते हैं। अगले 3 वर्षों की अवधि में विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार में उतार–चढ़ावों को विश्वासपूर्वक देख पाना मुश्किल होगा।

(ii). यह प्राधिकरण सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुका है कि कुछ पत्तन प्रशुल्क मदों को डॉलर में मूल्यवर्गित करने परंतु भारतीय रूपए में वसूल करने की अपनी नीति की समीक्षा करे। सरकार द्वारा लिए जाने वाले संशोधित नीति निर्णय को लंबित रखते हुए, यह जरूरी है कि कम से कम विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार–चढ़ावों को लेखा में लिया जाए जोकि इस प्राधिकरण द्वारा इसका विश्लेषण किए जाने के समय और भारत के राजपत्र में संशोधित प्रशुल्क की अधिसूचना के बीच होते हैं। यह प्राधिकरण संशोधित प्रशुल्क की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित विदेशी मुद्रा विनिमय के आधार पर सुविचारित लागत अनुमानों की समीक्षा की जाएगी, यदि विश्लेषण में विश्वस्त दर और अधिसूचना की तारीख को प्रचलित दर के बीच भिन्नता (+)/(-) 2% अधिक हो। ऐसी समीक्षा कार्यवाही संबद्ध पत्तन न्यासों/निजी टर्मिनल द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अपनी ओर से शुरू की जा सकती है।

(घ). <u>कार्यगत पूंजी के रूप में सुविचारित की जाने वाली विविध देनदारियों का स्तरः</u>

(i). प्रशुल्क दिशा–निर्देशों का खंड 2.9.9 दो माह की संपदा और भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे टर्मिनल प्रभारों की सीमा कार्यगत पूंजी के रूप में सुविचारित किए जाने के लिए विविध देनदारी स्तर रूप में निर्धारित करता है। चूंकि निजी टर्मिनल प्रचालक अपने कब्जे के अधीन संपदा पट्टे पर नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें संपदा संबंधित आय प्रोद्भूत नहीं होती है। इसी प्रकार, वे रेलवे गतिविधि भी नहीं करते हैं और इसलिए भारतीय रेलवे द्वारा उन्हें टर्मिनल प्रभार देय नहीं हैं। परिणामस्वरूप, निजी टर्मिनल प्रचालकों के मामले में विविध देनदारियां शेष सदैव शून्य आती हैं। इसके विपरीत, कुछ पूर्व–भुगतान और अग्रिम होते हैं जिन्हें निजी टर्मिनल प्रचालक को संबद्ध लाइसेंस क़रार द्वारा यथा अपेक्षित किया जाना होता है। हालांकि ऐसे भुगतान निजी प्रचालकों के लेखा बहियों में विविध देनदारियाँ और अग्रिम के अधीन दर्शाए जाते हैं, वे प्रशुल्क दिशा–निर्देशों के मद्देनज़र प्रशुल्क निर्धारण प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

(ii). यह उल्लेखनीय है कि प्रशुल्क दिशा–निर्देशों का खंड 2.9.9 इस प्राधिकरण को अनुमति देता है कि कार्यगत पूंजी की विभिन्न मदों की उपयुक्तता की जाँच करे। लाइसेंस क़रार के अनुसार निजी प्रचालकों द्वारा किए जाने वाले पूर्व–भुगतान और अग्रिम अनिवार्य सांविदिक दायित्व हैं। अतः ऐसे भुगतान को उस सीमा तक विविध देनदारियों के लिए सीमा रूप में स्वीकार करना उपयुक्त है जो पास–थ्रू रूप में अन्यथा स्वीकार्य हों। किसी असंगतता से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भूस्वामी पत्तन को राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान विविध देनदारियों के रूप में केवल यदि ऐसी राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी की सीमा तक प्रशुल्क में पास–थ्रू रूप में सुविचारित किया जाता है।

(ड.). <u>वास्तविक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन ब्योरे प्रस्तुत करना:</u>

(i). प्रशुल्क दिशा–निर्देशों का खंड 2.13 अपेक्षा करता है कि निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि की समाप्ति पर वास्तविक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की जाए और भिन्नता को निर्धारित तरीके से भावी रूप में समायोजित किया जाए। यह देखा गया है कि तीन वर्षों की अवधि के पश्चात ऐसी समीक्षा करने से महापत्तन न्यासों/वहां पर प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों अथवा उपयोक्ताओं, जो भी स्थिति हो, को शीघ्र राहत प्रदान नहीं की जा सकती है, यदि महत्वपूर्ण भिन्नता प्रशुल्क वैधता चक्र के शुरूआती चरण में देखी जाती है। अतः लगातार अनुवीक्षण के लिए प्रणाली बनाकर बेहतर व्यवस्था हो सकती है।

(ii). पत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों से अपेक्षा की जाती है कि किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर वास्तविक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन की रिपोर्ट भेजी जाए। ऐसी तिमाही रिपोर्टें प्रत्येक वर्ष के 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए उसी प्रारूप में भरे जाते हैं जिसमें प्रशुल्क प्रस्तावों के लिए लागत विवरण भरे जाते हैं। रिपोर्ट के साथ प्रभावी प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए विश्वास किए गए अनुमानों से भिन्नता के कारण भी होने चाहिएं। यदि दो क्रमिक तिमाही अवधि के लिए वास्तविक और अनुमानों के बीच (+)/(-) 20% की भिन्नता देखी जाती है तो यह प्राधिकरण संबद्ध पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल प्रचालकों को प्रशुल्क की अनुसूची समीक्षा किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि संबद्ध पत्तन न्यास अथवा निजी टर्मिनल प्रचालक इस प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली समय–सीमा के भीतर प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने में असफल रहता है, प्रशुल्क की समीक्षा करने के लिए अपनी ओर से कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. चूंकि ऊपर विश्लेषित मुद्दे मौजूदा अंगीकृत दृष्टिकोण और प्रशुल्क निर्धारण के लिए अनुसरित पद्धतियों का केवल विशोधन है और प्रशुल्क दिशा–निर्देशों के किसी उपबंध के पुनर्निर्धारण के लिए नहीं है, इसलिए शेयरधारकों के साथ अलग–से परामर्श प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।

5. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित निर्णय देता है:–

(i). (क). महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनलों को प्रशुल्क प्रस्ताव उस वित्तीय वर्ष के 30 जून तक दाखिल करने होंगे जिसमें प्रशुल्क संशोधन देय होता है। ऐसे प्रस्ताव के साथ पिछले वित्तीय वर्ष तक के वास्तविक आँकड़े होने चाहिएं।

(ख). प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक प्रशुल्क प्रस्ताव समयानुसार दाखिल नहीं करने के पर्याप्त उचित कारण नहीं दिए जाते। आपवादिक मामलों में भी जहां ऐसे अनुरोधों पर इस प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है, मौजूदा दरों में विस्तारित अवधि के लिए तदर्थ कटौती की जाएगी जोकि 3 महीनों से अधिक नहीं होगी। विस्तार प्रदान करना भी इस शर्त के अधीन होगा कि विस्तारित अवधि के दौरान प्रोद्भूत अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, अगले प्रशुल्क संशोधन में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

(ii). उस वर्ष के लिए जिसमें अनुमोदित संशोधित प्रशुल्क प्रभावी होगा, यथा लागू डब्ल्यूपीआई और आरओसीई परिगणित किया जाएगा।

आपवादिक मामलों में, जब वित्तीय वर्ष में कोई बदलाव किसी मामले में इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिए जाने के समय और ऐसे निर्णय की अधिसूचना की तारीख के बीच होता है, और यदि मध्यवर्ती अवधि में प्रशुल्क दिशा–निर्देशों के अनुसार डब्ल्यूपीआई के मूल्यों और आरओसीई में संशोधन किया जाता है, आरओसीई के लागू मूल्य और वार्षिक वृद्धि कारक ठीक प्रकार से दर्शाए जाने की सीमा तक पूर्ववर्ती प्रशुल्क आदेश की समीक्षा की जाएगी। ऐसी समीक्षा कार्यवाही संबद्ध पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अपनी ओर से शुरू की जाएगी।

(iii). संशोधित प्रशुल्क की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर प्रशुल्क आदेश में सुविचारित वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाएगी, यदि विश्लेषण में विश्वस्त दर और अधिसूचना की तारीख को प्रचलित उस दर के बीच की भिन्नता (+)/(-) 2% से अधिक हो। ऐसी समीक्षा कार्यवाही संबद्ध पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अपनी ओर से शुरू की जाएगी।

(iv). लाइसेंस क़रार के अनुसार निजी प्रचालकों द्वारा किए जाने वाले पूर्व–भुगतान और अग्रिम विविध देनदारियों के लिए उस सीमा तक स्वीकार्य होंगे जहां वे पास–थ्रू रूप में अन्यथा स्वीकार्य हों। भूस्वामी पत्तन को राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान विविध देनदारियों के हिस्से के रूप में स्वीकार्य होगा केवल यदि उस सीमा तक तब ऐसी राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी प्रशुल्क में पास–थ्रू रूप में सुविचारित की जाती है।

(v). पत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों को किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर वास्तविक प्रत्यक्ष और वित्तीय निष्पादन की रिपोर्ट भेजी जाए। ऐसी तिमाही रिपोर्टें प्रत्येक वर्ष के 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए उसी प्रारूप में भरे जाते हैं जिसमें प्रशुल्क प्रस्तावों के लिए लागत विवरण भरे जाते हैं। रिपोर्ट के साथ प्रभावी प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए विश्वास किए गए अनुमानों से भिन्नता के कारण भी होने चाहिएं। यदि दो क्रमिक तिमाही अवधि के लिए वास्तविक और अनुमानों के बीच (+)/(-) 20% की भिन्नता देखी जाती है तो यह प्राधिकरण संबद्ध पत्तन न्यास/निजी टर्मिनल प्रचालकों को प्रशुल्क की अनुसूची समीक्षा किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि संबद्ध पत्तन न्यास अथवा निजी टर्मिनल प्रचालक इस प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली समय–सीमा के भीतर प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने में असफल रहता है, प्रशुल्क की समीक्षा करने के लिए अपनी ओर से कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(ब्रहम दत्त)
अध्यक्ष